7 90

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
Principal Bench, New Delhi
Receipt & Issue Branch
Received
12 SEP 2023
Dairy No. 4344
Signature

पंजीकृत/स्पीडपोस्ट

सेवा में,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण
प्रिंसिपल बेंच
फरीदकोट हाउस नई दिल्ली

माननीय महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली में योजित ओ0ए0273/2022 (आई0ए0न0 242/2022 –आई0एन0 250/2022) ज्ञानेन्द्र पाण्डेय बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दि0 29.09.2022 जो क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के पत्र सं0 2227 दि0 07.01.2023 द्वारा प्राप्त हुआ के अनुपालन में सादर विनम्र प्रस्तरवार निवेदन है –

1. यह कि इन्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज (19 पाये का ईट भट्ठा) सरैंया, थाना पट्टी कमलापुर –सीतापुर सीजन वर्ष 2014–15 अर्थात 01.10.2014 से 30.09.2015 तक समाधान में था और उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा निर्गत वायु सहमति आदेश, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत खनन आदेश और जिला पंचायत द्वारा निर्गत जिला पंचायत लाइसेंस भी सीजन वर्ष 2014–15 अर्थात 30.09.2015 वैघ थे जिनकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 01, 02 और 03** के रूप में संलग्न है।
2. यह कि अचानक पिता जी का हार्ट अटैक पड़ जाने के कारण हम लोग पिता जी के इलाज में लग गये उधर दैवीय आपदा बार–बार बारिस से फड़ में लगी लाखों कच्ची ईंटे गल गई लेबर तितर–बितर हो गई। भटठे में भरी ईंटे भी न फुककर गल गई स्थिति छिन्न भिन्न हो गई और आर्थिक संकट आ गया परिणाम स्वरूप भटठा सीजन वर्ष 2014–15 में अस्थाई रूप से बन्द हो गया।
3. यह कि दिनांक 26.03.2015 को पंजीकृत डाक द्वारा आर्थिक तंगी के कारण सीजन वर्ष 2014–15 का समाधान प्रार्थना पत्र निरस्त/वापस करने समाधान की किश्ते जमा न कर पाने के कारण जारी आर0सी0 तहसील सिधौली से रूकवाने एवं वास्तविक स्थिति जानने के लिये भटठे का निरीक्षण करने हेतु असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर को प्रार्थना पत्र दिया जिसकी प्रति पंजीकृत डाक से ही ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक वाणिज्य कर सीतापुर, जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, उपजिलाधिकारी सिधौली एवं तहसीलदार सिधौली को भी दी थी। जिसकी छायाप्रति डाकखाने की रसीद सहित सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 04** के रूप में संलग्न है।
4. यह कि दिनांक 30.03.2015 को भट्ठा सीजन वर्ष 2014–15 में बन्द होने की पुनः अविलम्ब जांच हेतु असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर में व्यक्तिगत मिलकर के स्थिति से अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र दिया। जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ **संलग्नक 05** के रूप में संलग्न है।
5. यह कि दिनांक 27.05.2015 को पंजीकृत डाक द्वारा आयुक्त महोदय वाणिज्य कर लखनऊ को पिता जी की बीमारी, दैवीय आपदा एवं आर्थिक सकंट के कारण बन्द भटठे को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर समाधान निरस्त/वापस करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिया जिसकी प्रति पंजीकृत डाक से जवाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर सीतापुर, तहसीलदार सिधौली, उपजिलाधिकारी सिधौली एवं जिलाधिकारी महोदय सीतापुर को भी दी थी। जिसकी छायाप्रति डाकखाने की रसीद सहित सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 06** के रूप में संलग्न है।
6. यह कि दिनांक 07.03.2017 को आयुक्त महोदय वाणिज्य कर लखनऊ ने सीजन वर्ष 2014–15 में भटठा न चलाये जाने के कारण समाधान निरस्त/वापस करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2015, 01.07.2015, 19.03.2016, 29.12.2016 पर सीजन वर्ष 2014–15 में भट्ठा बन्द होने की पुष्टि करते हुए आदेशित किया कि "एक बार समाधान हेतु विकल्प अपनाने के पश्चात इसे वापस नहीं किया जा सकता।" जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 07** के रूप में संलग्न है।

OA 273/22

7. यह कि दिनांक 06.06.2015 को पंजीकृत डाक द्वारा तहसीलदार सिधौली को प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी प्रति उपजिलाधिकारी सिधौली को भी दी थी। जिसमें निवेदन किया गया था कि आर्थिक संकट के कारण भट्ठा नहीं चला पाया जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 08** के रूप में संलग्न है।
8. यह कि दिनांक 19.03.2016 को पंजीकृत डाक द्वारा असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर को प्रार्थना पत्र दिया जिसकी प्रति पंजीकृत डाक द्वारा जिलाधिकारी महोदय सीतापुर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर, आयुक्त महोदय वाणिज्य कर लखनऊ को भी दी जिसमें निवेदन किया गया था कि आर्थिक तंगी के कारण भट्ठा सीजन वर्ष 2014–15 में बन्द रहा और सीजन वर्ष 2015–16 में भी अस्थाई रूप से बन्द रहेगा जिसकी छाया प्रति डाकखाने की रसीद सहित सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 09** के रूप में संलग्न है।
9. यह कि दिनांक 29.12.2016 को पंजीकृत डाक द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर खंड 4 सीतापुर को प्रार्थना पत्र दिया था।जिसकी पंजीकृत डाक द्वारा जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को भी दी थी। जिसमें निवेदन किया गया था कि आर्थिक तंगी के कारण भट्ठा सीजन वर्ष 2014–15, 2015–16 को बंद रहा और सीजन वर्ष 2016–17 में भी अस्थाई रूप से बंद रहेगा तथा यह भी निवेदन किया था कि **भट्ठे का कार्य शुरू होने पर सूचना प्रेषित कर दी जाएगी।** जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ डाकखाने की रसीद सहित **संलग्नक 10** के रूप में संलग्न है।
10. यह कि दि० 24.05.2018 को पंजीकृत डाक द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त 5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को उनके पत्र संख्या एच 19609 दि० 09.05.2018 जो बिना फील्ड में जाए कागजों पर ही घर बैठे बैठे 25 पाए का भट्ठा संचालन किया जा रहा दिखाया गया से सम्बन्धित है। जबकि 19 पाये का बन्द भट्ठा की पुष्टि खरपतवार, झाड़, झंकार, खलझार कीड़े मकोड़ो एवं विच्छुओं,सापों से लैस था। जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 20.06.2015 एवं अस्सिटेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर के आदेश दि0 13.01.2015 से है। जो **संलग्नक 11 व 12** के रूप में संलग्न है। जिससे 25 पाये की फर्जी निरीक्षण की पुष्टि होती है। साथ ही साथ उक्त पत्र का उत्तर 8 संलग्नको सहित विस्तार दिया गया। जिसकी प्रति पंजीकृत डाक से जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–4, सीतापुर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं आयुक्त महोदय वाणिज्य कर लखनऊ को भी दी थी। जिसमें भी निवेदन किया था कि भट्ठा आर्थिक तंगी के कारण 2014–15 से अब तक बन्द है। जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ डाकखाने की रसीद सहित **संलग्नक 13** के रूप में संलग्न है।
11. यह कि दि0 20.06.2021 को मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को उनके पत्र सं0 एच 37203 दिनांक 12.06.2019 जिसमें उनके पत्र सं0 एच 19609 दिनांक 09.05.2018 की पुनरावृत्ति है। जिसका उत्तर विस्तार से दिनांक 20.06.2021 को दे दिया गया था तथा प्रति जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर, खनन अधिकारी सीतापुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ.प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को भी दी थी। जिसमें निवेदन किया था कि आर्थिक संकट के कारण भट्ठा 2014–15 से अब तक बन्द है **भट्ठा जर्जर है कृपया देखने की कृपा करें साथ ही साथ यह भी निवेदन किया था कि भट्ठा संचालन करने पर तत्काल सूचित कर दिया जायेगा** जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 14** के रूप में संलग्न है।
12. यह कि 29.07.2021 को पंजीकृत डाक द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5 व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को उनके आदेश सं0 एच 63428 दिनांक 14.07.2021 जो भट्ठा बन्दी से सम्बन्धित है पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 19.07.2021 को तथा कार्यालय स्टाफ जिन्होने अपना नाम श्री ए0के0 शर्मा बताया द्वारा दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त हुआ। श्री ए0के0 शर्मा को जर्जर

भट्ठे को भी दिखाया था। उक्त आदेश दिनांक 14.07.2021 का उत्तर विधिवत विस्तार से मय साक्ष्यों 09 संलग्नकों सहित दिया था जिसमें भी निवेदन किया था कि भट्ठा आर्थिक तंगी के कारण सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक अस्थाई रूप से बन्द होने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के उल्लघन का दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं उठता जिस पर बन्दी आदेश देना नियम विरूद्ध गैर कानूनी न मानने योग्य है। जिसे निरस्त करने की कृपा करें। जिसकी प्रति पंजीकृत डाक से ही जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर एवं जिला खनन अधिकारी सीतापुर को भी दी थी। जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ डाकखाने की रसीद सहित **संलग्नक 15** के रूप में संलग्न है।

13. यह कि दि0 14.06.2022 को पंजीकृत डाक से अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर को उनके पत्र सं0 169 दिनांक 07.06.2022 के अनुपालन में विस्तार से मय साक्ष्यों एवं 10 संलग्नकों को उत्तर सहित दिया था। जिसमें भी निवेदन किया था कि आर्थिक तंगी के कारण भट्ठा वर्ष 2014–15 से अब तक अस्थाई रूप से बन्द है। जिसकी प्रति पंजीकृत डाक से ही जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, उपजिलाधिकारी सिधौली सीतापुर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड लखनऊ एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को भी दी थी। जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ डाकखाने की रसीद सहित **संलग्नक 16** के रूप में संलग्न है।

14. यह कि दिनांक 17.09.2022 को क्षेत्रीय अधिकारी महोदय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ ने मेरे प्रार्थना पत्रों समय–समय पर किये गये भौतिक सत्यापनों के गहन परीक्षणोपरान्त पर भट्ठा सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक बन्द होने की भली भांति पुष्टि होने पर ही सीजन वर्ष 2022–23 से सीजन वर्ष 2026–27 तक 05 वर्ष के लिए जल वायु सहमति आदेश हेतु ऑनलाइन फीस 7500 रु0 दिनांक 17.09.2022 को जमा कराया जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 17** के रूप में संलग्न है।

15. यह कि दिनांक 21.09.2022 को क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ ने जल वायु सहमति आदेश सं0 164796/ UPPCB/ LUCKNOW (UPPCBRO /CTO/ BOTH/ SITAPUR/ 2022 निर्गत किया। जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 18** के रूप में संलग्न है।

16. यह कि दिनांक 21.09.2022 को असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर जिनके क्षेत्राधिकार में मेरा भट्ठा व मेरे आसपास के अन्य भटठे आते हैं। जिनके निरीक्षण हेतु मेरे भटठे के पास से ही आना जाना रहता है। भट्ठा सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक बन्द देखते चले आ रहे हैं ने भटठा बंद होने की पूर्ण संतुष्टि पर ही **जी0एस0टी0 नं0 09AACF17299M2Z N दि0 21.09.2022** एलॉट किया। जिसकी छायाप्रपति सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 19** के रूप में संलग्न है।

17. यह कि दिनांक 01.04.2023 को क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ का पत्र संख्या 2645 दि0 29.03.2023 पत्र प्राप्त हुआ। जिसमे बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बंदी आदेश दि0 14.07..2021 के निक्षेपण संबंधी आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 20** के रूप में संलग्न है।

18. यह कि दि० 05.04.2023 को मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त 5 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को उनके बंदी आदेश दि0 14.07.2021 के निक्षेपण संबंधी आदेश हेतु विस्तार से मय साक्ष्यों 12 संलग्नकों सहित व्यक्तिगत रूप से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र दिया। जिसकी प्रति व्यक्तिगत रूप से मिलकर क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को भी दिया था। जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ **संलग्नक 21** के रूप में संलग्न है।

19. यह कि दि0 24.04.2023 को पुनः पंजीकृत डाक द्वारा मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को बंदी आदेश के निक्षेपण हेतु प्रार्थना पत्र दिया परन्तु आज तक निक्षेपण आदेश प्राप्त नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार की किसी कार्यवाही से अवगत कराया गया। जिसकी प्रति पंजीकृत डाक से जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर एवं जिला खनन अधिकारी सीतापुर को भी दी थी। जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ डाक खाने की रसीद सहित **संलग्नक 22** के रूप में संलग्न है।
20. यह कि मेरे भट्ठे के आसपास कई भट्ठे , सीमेंट, मौरंग, बालू व टेंट हाउस आदि की दूकाने हैं जिनका जिला पंचायत विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर निरीक्षण हेतु अधिकारियों कर्मचारियों के मेरे भट्ठे के पास से ही आना जाना होता है यदि मेरा भट्ठा संचालन होता यानी ईट पथाई, भराई, फुंकाई निकासी एवम बिक्री आदि होती तो उन विभागीय अधिकारियों द्वारा मेरे भी भट्ठे का निरीक्षण कर कार्यवाही की गई होती चूंकि भट्ठा बंद था और आज भी बंद है अतः निरीक्षण कर कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।
21. यह कि भट्ठा सीजन वर्ष 2014–15 से आज तक अस्थाई रूप से बंद होने से सम्बन्धित दिये गये प्रार्थना पत्रों दि0 26.03.2015, 30.03.2015 27.05.2015, 06.06.2015, 01.07.2015, 19.03.2016, 29.12.2016, 24.05.2018, 20.06.2021, 29.07.2021, 14.06.2022, 17.09.2022, 21.09.2022, 01.04.2023, 05.04.2023, 24.04.2023 पर एवं पैरा 14,15,16 पर विशेष रुप से सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई करने की कृपा करें।
22. यह कि बिना वायु सहमति आदेश के चल रहे अन्य भटठों के साथ मेरे भी भटठे को संचालित दिखाकर नियम विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया जाना न तो न्याय संगत है, न ही न्याय हित में है बल्कि जानबूझकर घोर अन्याय कर अनावश्यक रूप से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की है। जिसे निरस्त/निक्षेपण करने की कृपा करें ताकि सीजन वर्ष 2014–15 सेअब तक आज तक अस्थाई रूप से बंद भट्ठे का आगामी सीजन वर्ष 2023–24 अर्थात 01.10.2023 से चला सके।

महान कृपा होगी।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार –22
दिनांक : 06.09.2023

प्रार्थी
(मो0 शोएब पार्टनर)
फर्म : इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
सरैया, थाना पट्टी, थाना कमलापुर
जनपद –सीतापुर

प्रतिलिपि : पंजीकृत डाक द्वारा उपरोक्त 22 संलग्नकों सहित सादर सूचनार्थ एवं अबिलम्ब आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला ईट उद्योग समिति, सीतापुर।

प्रार्थी
(मो0 शोएब पार्टनर)
फर्म : इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
सरैया, थाना पट्टी, थाना कमलापुर
जनपद –सीतापुर

संलग्नक-1

794

दूरभाष: 0522-2388311

फैक्स:0522-2388311

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सी-952/953, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ-226006

सहमति आदेश पत्र

संख्या-....1136.....सहमति (वायु)आदेश/490-डी/2011. लखनऊ दिनांक:....21.3.11.....

विषय: सहमति मैसर्स इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज, थाना-पट्टी, कमलापुर, जिला – सीतापुर

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा-21/22 के अंतर्गत ।

संदर्भ: आवेदन पत्र सं0.........शून्य..., दिनांक...04/03/2011 ....

1. वायु अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र.. मैसर्स इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज, थाना-पट्टी, कमलापुर, जिला-सीतापुर .... को अपने सन्यन्त्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक ....04/03/2011 .... से ....30/09/2015.................................. अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम-1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिये जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिये आरक्षित है।

क्षेत्रीय अधिकारी
लखनऊ

795

कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर।

संख्याः–तीस–सी0एफ0–ईट भट्ठा–नवीनीकरण/(2014)/न्या0स0 दिनाक 20 जून 2015

श्री मो0 शुएब आदि पुत्रगण श्री मो0 इसहाक
नि0 ग्राम थाना पट्टी –कमलापुर
प्रो0 मेसर्स इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
सरैया–थाना पट्टी तह0सिधौली, जिला सीतापुर

आपके ,द्वारा ईट मिट्टी को निकालने हेतु वर्ष 2014–2015 के लिये प्रपत्र एम0एम0–8 पर आवेदन किया गया है तथा नियत आवेदन शुल्क मु0 2000–00 तथा शासनादेश संख्या 2528/86–1(216)/1993 दिनांक 11–9–2013 द्वारा ईट मिट्टी की समाधान योजना के अर्न्तगत 19 पाये हेतु नियत रायल्टी 58,050–00 कुल 60,050–00 लेखा शीर्षक 0853–खनन की मद में ट्रेजरी चालान संख्या एस0 एस020100 दि0 26–11–14 द्वारा जमा की गयी है। तत्कम में आपको सूचित किया जाता है कि :–

आपको उत्तर प्रदेश खनिज परिहार (पैतीसवॉ संशोधन) नियमावली 2012 की अधिसूचना संख्या 2216/86–2012–235/2010,दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के आज्ञापक प्राविधानों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2013 का अनुपालन करना होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पत्र संख्या 1237/एम–ईट मिट्टी–रायल्टी/2013–14 दिनांक 25–10–2013 के अनुसार दो मीटर की गहराई तक हस्तचालन विधि से मिट्टी को हटाने की प्रकिया खनन संकियाओ की परिभाषा से आच्छादित नही मानी जायेगी और तदनुसार ईट मिट्टी से ईटों की पथाई की जायेगी। किसी भी दशा में खनन की गहराई दो मीटर से अधिक नही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा शासन/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 द्वारा समय समय पर पारित आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। यदि किसी समय जॉच में पाया जाता है कि आपके द्वारा उक्त निर्गत निर्देशो का पालन नही किया जा रहा है तो आपके विरूद्व अवैध खनन का प्रकरण मानते हुए सुसंगत प्राविधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सीतापुर

अपर जिलाधिकारी
सीतापुर।

संख्या व दिनांक समांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1–उप जिलाधिकारी सिधौली
2 प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिधौली।

अपर जिलाधिकारी
सीतापुर।

संलग्नक-3

796

3

नवीनीकरण

जिला परिषद/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 25

(नियम 101 देखिये)

जिला परिषद/क्षेत्र समिति सीतापुर 07946

जिला सीतापुर

लाइसेन्स ईट भट्ठा ग्राम-थानापुर

चूंकि श्री मो० इरफान ख़ान ने जिला परिषद/क्षेत्र समिति सीतापुर जिला सीतापुर को रू० 1197653153 रुपये का भुगतान कर दिया है अतः उन्हें विकास खण्ड-ऐलिया के स्थानीय क्षेत्र के भीतर ग्रा० थानापुर में ईट भट्ठा दिनांक अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 तक के लिए अनुज्ञा दी जाती है।

लाइसेन्सधारी का विवरण

1. नाम	पिता का नाम	व्यापार	पता	अभ्युक्ति
श्री मो० युनुस	श्री मो० इसहाक	ईट	ग्रा०-थानापुर पो० कमलापुर	

लाइसेन्सधारी का हस्ताक्षर मो० युनुस

यह लाइसेन्स ईट भट्ठा व्यवसाय में विनियमन और नियंत्रण के निमित्त नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया गया है, जिसकी एक प्रति मैंने आज लाइसेन्सधारी को दे दी है। 30/04/15

दिनांक ________ 20

लाइसेन्स अधिकारी। कार्य अधिकारी

टिप्पणी–स्थान और पृष्ठांकन की प्रविष्टियां तभी भरी जानी चाहिए, जब लाइसेन्स सशर्त हो। यदि लाइसेन्स सामान्य प्रकार का हो तो पृष्ठांकन काट दिया जाना चाहिए।

अनुलग्नक – 4

पंजीकृत 797

सेवा में,

श्रीमान् असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर
खण्ड – 4, सीतापुर।

इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर जिला सीतापुर
टीन नं0 – 09753602924

विषयः–प्रार्थना पत्र बावत वर्ष 2014–15 हेतु जमा समाधान प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने, अथवा समाधान की किश्तों की जारी आर0सी0 तहसील सिधौली दि0 20.04.2015 तक रूकवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मेरा भट्ठा इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज थाना पट्टी कमलापुर सीतापुर अप्रैल 2008 से चालू है। तब से आज दिनांक 25.03.2015 तक वाणिज्य कर, माइनिंग, प्रदूषण, जिला पंचायत आदि का लगभग रूपया 2516338.–00 टैक्स का नियमित रूप से जमा है कोई बकाया नहीं है। और न ही डिफाल्टर हूँ। मेरे पिता मोहम्मद इसहाक विगत कई मांहो से हार्ट पेसेन्ट के कारण अत्यधिक हार्ट ट्रबुल में हैं जिनका इलाज कई जगहों से करा चुका हूँ तथा दिनांक 11.03.2015 से महावर क्लीनिक एवं पैथालोजी सेन्टर सीतापुर डा0 सतीश महावर का इलाज चल रहा है। अवलोकनार्थ पर्चो की छायाप्रति संलग्न है।

भट्ठा सीजन वर्ष 2014–15 समाधान में है तथा रू0 1,02930.00 किश्त का जमा किया जा चुका है। पिता जी की अत्यधिक बीमारी से आर्थिक तंगी के कारण समाधान की अन्य किश्ते नही जमा कर सका और न ही भट्ठा ही चला पाया भट्ठे में भराई, फुकाई आदि कुछ नहीं है। जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। लगभग कच्ची ईंटो की 3,50,000 की पथाई की गई थी वह भी बार–बार बारिश होने के कारण गल गई।

798

अतः महोदय से निवेदन है यदि सम्भंव हो तो समाधान प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाये अथवा समाधान क़ी किश्तों की आर0सी0 जो तहसील भेजी गई कि वसूली दि. 20.04.2015 तक के लिये रूकवाने की कृपा करे। साथ–साथ अर्थदण्ड से भी मुक्त करने की कृपा करें। दिनांक 20.04.2015 को समाधान की समस्त धनराशि ब्याज सहित जमा कर दिया जायेगा।

महान् कृपा होगी।

दिनांक : 26-03-15

प्रार्थी

मो० शुऐब
मोहम्मद शुऐब
पार्टनर
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर सीतापुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर सीतापुर।
2. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय सीतापुर।
3. श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय सिधौली सीतापुर।
4. श्रीमान् तहसीलदार महोदय सिधौली सीतापुर।

प्रार्थी

मो० शुऐब
मोहम्मद शुऐब
पार्टनर
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर सीतापुर

799

भारतीय डाक
India Post

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU09481742?IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:JOINT COMMISSIONER,VANIJYA KAR
Sitapur H.O, PIN:261001
From:MOHD SUVER , STP
Wt:24grams,
PS:5.00,Amt:22.00 , 24/03/2015 , 14:33
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU094817541IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:JOINT COMMISSIONER,VANIJYA KAR
Sitapur H.O, PIN:261001
From:MOHD SUVER , STP
Wt:24grams,
PS:5.00,Amt:22.00 , 24/03/2015 , 14:34
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU094817555IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:DM,
Sitapur H.O, PIN:261001
From:MOHD SUVER , STP
Wt:24grams,
PS:5.00,Amt:22.00 , 24/03/2015 , 14:34
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU094817432IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:SDM,
Sidhauli S.O, PIN:261303
From:MOHD SUVER , STP
Wt:24grams,
PS:5.00,Amt:22.00 , 24/03/2015 , 14:34
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU094817317IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:TEHSILDAR,
Sidhauli S.O, PIN:261303
From:MOHD SUVER , STP
Wt:24grams,
PS:5.00,Amt:22.00 , 24/03/2015 , 14:35
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

By Hand

सेवा में,
श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर वाणिज्यकर
खण्ड-5 सीतापुर

रि: इण्डियन ब्रिकफील्ड
धनापट्टी कमलापुर जिला सीतापुर
TIN- 09753602924

प्रार्थनापत्र बाबत किये जाने जाँच द्वारा सर्वेक्षण भट्ठा पूर्णतया बन्द- भट्ठा अवधि 1-10-2014 to 30.9.2015 वर्ष 2014-15

महोदय

निवेदन है कि प्रार्थी का भट्ठा पूर्णतया बन्द है। प्रार्थी के पिता का हार्ट अटैक हो गया था जिससे परिवार के सभी व्यक्ति उनके इलाज में लगे रहे। भट्ठे में केवल कच्ची ईंट की पथाई हुयी थी जो बारिश में गल गयी है जिससे प्रार्थी का काफी आर्थिक नुकसान हुआ है प्रार्थी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है भट्ठे में कोई कार्य नहीं हो रहा है भट्ठा पर केवल पीला ईंटा है जिसकी बिक्री नहीं हो पा रही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि भट्ठा की जाँच अविलम्ब करने की कृपा करें अन्यथा श्रीमान जी यह समझकर कि भट्ठा चल रहा है समाधान किया जाना न हो पाने पर अर्थदण्ड आरोपण हो सकता है।

धनापट्टी
30.3.2015

प्रार्थी
मो० शुऐब
PARTNER

सहपत्र–6

पंजीकृत 801

सेवा में,

श्रीमान् कमिश्नर वाणिज्यकर महोदय,

वाणिज्य कर विभाग (उ0प्र0)

लखनऊ।

इंडियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज

थाना पट्टी–कमलापुर–सीतापुर

टिन नं0 09753602924

विषयः–दैवी आपदा (प्रतिमाह बार–बार बारिश होने के कारण कच्ची ईंट गलने) एवं मेरे पिता जी का अटैक पड़ जाने के कारण आज दिनांक 27.05.15 तक बंद भट्ठा को दृष्टिगत रखते हुऐ विशेष परिस्थितियों में मानवीय आधार पर सीजन वर्ष 2014–15 हेतु जमा समाधान प्रार्थना पत्र निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयक प्रार्थना पत्र असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड – 4 सीतापुर को दिनांक 26.03.2015, 30.03.2015 एवं 18.05.2015 द्वारा जांच कर कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था परन्तु आज तक कोई सुनवाई नही हुई। भट्ठा अप्रैल 2008 से चालू है तब से अब तक वाणिज्य कर, माइनिगं, प्रदूषण, जिला पंचायत आदि का टैक्स रू0 25,16,338.00 नियमित्र रूप से जमा है। कोई किसी का टैक्स बकाया नहीं है।

भट्ठा सीजन 2014–15 समाधान में है तथा रू0 102930.00 समाधान किश्त का जमा है। पिता जी की बीमारी से आर्थिक तंगी के कारण न तो भट्ठा ही चला पाया हूँ और न ही समाधान की किश्ते ही जमा कर पाया हूँ। आने वाली बरसात में भट्ठा गिर न जाये इस वजह से पथाई गई कच्ची ईंटों से जो बारिश में गल गयी है में से अच्छी–अच्छी कच्ची ईटों की छंटाई करके और स्टाक में लगभग दो लाख पीला ईंटा जिसकी बिक्री नहीं है मिलाकर भट्ठे में भराई की जा रही है। चूंकि ईटों की छंटाई और स्टाक की पीला ईंटों से भट्ठे का पूरा चक्कर भरना सम्भव नहीं है जिस कारण पथाई करके भट्ठे का पूरा चक्कर भंरने एवं फुकाई करने की कोशिश की जा रही है। जिसकी बिक्री अनुसार कर अदा किया जाता रहेगा।

802

अतः महोदय से निवेदन है कि दैवी आपदा, पिता जी बीमारी, आर्थिक संकट एवं बन्द भट्ठे को दृष्टिगत रखते हुऐ विशेष परिस्थितियों में मानवीय आधार पर समाधान निरस्त करने की कृपा करें। समाधान निरस्त होने पर प्रार्थी पर विभाग की कोई देयता नहीं रहेगी। बल्कि प्रार्थी का ही रू0 1,02,930.00 विभाग पर रहेगा। जो भविष्य में बिक्री अनुसार समायोजित होता रहेगा।

दिनांक : 27.05.2015

भवदीय

(मोहम्मद शुऐब)
पार्टनर
इंडियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर
सीतापुर

प्रतिलिपि : निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्रीमान् असिस्टेन्ट कमिश्नर महोदय वाणिज्य कर खण्ड – 4 सीतापुर
2. श्रीमान् ज्वांइट कमिश्नर (कार्यपालक) महोदय वाणिज्य कर सीतापुर
3. श्रीमान् तहसीलदार महोदय सिधौली सीतापुर
4. श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय सिधौली सीतापुर
5. श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय सीतापुर

(मोहम्मद शुऐब)
पार्टनर
इंडियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर
सीतापुर

803

भारतीय डाक
India Post

[illegible]code> RL SITAPURCITYPO <241001>
RU094899[illegible]IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:SDM SIDHAULI
Sidhauli S.O, PIN:261303
From:MOHD SUYER , STP
Wt:19grams,
PS:22.00, , 27/05/2015 , 15:02
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU094899861&IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:TEHSILDAR,SIDHAULI
Sidhauli S.O, PIN:261303
From:MOHD SUYER , STP
Wt:19grams,
PS:22.00, , 27/05/2015 , 15:02
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU094899593IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:COMMISSIONER,V.KAR BHAWAN
Gomtinagar S.O, PIN:226010
From:MOHD SUYER , STP
Wt:19grams,
PS:22.00, , 27/05/2015 , 15:03
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU094899602IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:JOINT COMMISSIONER,V.KAAR
Sitapur H.O, PIN:261001
From:MOHD SUYER , STP
Wt:19grams,
PS:22.00, , 27/05/2015 , 15:03
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU094899050IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:DM,
Sitapur H.O, PIN:261001
From:MOHD SUYER , STP
Wt:19grams,
PS:22.00, , 27/05/2015 , 15:04
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India

RL SITAPURCITYPO <241001>
A RU094899179IN
Counter No:1,OP-Code:PA
To:ASSTT COMMISSIONER,V.KAR
Sitapur H.O, PIN:261001
From:MOHD SUYER , STP
Wt:19grams,
PS:22.00 [illegible]

मूलांक-7

पंजीकृत डाक 804

पत्र सं0-विधि-ईट भट्ठा समा0 योजना (विविध) -2016-17// 3885 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि- अनुभाग)
लखनऊ :. दिनांक: 7 मार्च , 2017

श्री मोहम्मद शुएब पार्टनर,
इंडियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज,
थाना पट्टी कमलापुर सीतापुर ।

आप अपने पत्र दिनांक 27-05-2015, दिनांक 19-03-2016 एवं दिनांक 29-12-2016 दिनांक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इंडियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज के सीजन वर्ष 2014-15 में भट्ठा न चलाये जाने के सम्बन्ध में तथा दिनांक 01-10-2014 से दिनांक 30-09-2015 तक विशेष परिस्थितियों में मानवीय आधार पर समाधान निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा ईंट भट्ठा व्यवसाइयों के लिए पत्र संख्या-क0नि0-1480/ग्यारह-2-2014-9(32)/09 दिनांक 03-11-2014 एवं तद्क्रम में कमिश्नर वाणिज्य कर, लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र संख्या-विधि-1(3)- भट्ठा समा0 योजना/(2014-15)/1081/1415088 दिनांक 03-11-2014/ वाणिज्य कर द्वारा समाधान योजना जारी की गयी है उसके निर्देश संख्या-16 पर उल्लेख है कि-" **एक बार समाधान हेतु विकल्प अपनाने के पश्चात इसे वापस नहीं लिया जा सकता ।**"

उपरोक्त निर्देश के अनुसार एक बार समाधान योजना का विकल्प अपनाने के पश्चात् इसे व्यापारी द्वारा वापस नही लिया जा सकता है। अतः उपरोक्त के आधार पर प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाने का कोई प्राविधान उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम -2008 के अन्तर्गत नही है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचार किये जाने योग्य नही है।

07.03.17

(डी0पी0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय लखनऊ।

805

ग नहीं NOT INSURED
दिये गये डाक टिकटों का मूल्य
Amount of Stamps affixed
रजिस्ट्री RU RD013562265IN प्राप्त किया
Received a Registered
वाले का नाम
Addressed to
पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

क्रमांक No. 1435
तारीख मोहर
Date-stamp

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,

सिधौली सीतापुर।

विषय:—वाणिज्यकर विभाग सीतापुर द्वारा इडियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज थाना पट्टा — कमलापुर — सीतापुर के विरूद्ध जारी आर0सी0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि सीजन वर्ष 2014—15 में एक मुश्त समाधान रू0 3,39,650.00/— का समाधान लिया था, जिसमें से रूपया 1,02,930.00 जमा कर दिया था। शेष रू0 2,36,720.00 जो (विभिन्न किश्तों में क्रमशः रू0 32930.00, रू0 67,930.00, रू0 67,930.00, रू0 33,965.00, रू0 33,965.00) दिनांक 20.04.2015 तक जमा होना था। दैवीय आपदा प्रतिमाह बार—बार बारिश होने से पथाई गई लाखों कच्ची ईंटे गल गयी जिससे लाखों रूपये का नुकसान हो गया तथा पिताजी का अटैक पड़ जाने के कारण दवा में लाखों रूपये खर्च हो गये जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया परिणाम स्वरूप आज दिनांक 06.06.2015 तक भट्ठा नहीं चला पाया हूँ।

उक्त परिस्थितियों के कारण समाधान निरस्त करने हेतु अपीलीय प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से दिनांक 27.05.2015 को कमिश्नर महोदय वाणिज्यकर विभाग लखनऊ को दिया जिसकी प्रतिलिपि असिस्टेन्ट कमिश्नर महोदय वाणिज्यकर खण्ड —4 सीतापुर, ज्वाइन्ट कमिश्नर महोदय (कार्यपालक) वाणिज्यकर सीतापुर, महोदय आपको, उपजिलाधिकारी महोदय सिधौली व जिलाधिकारी महोदय सीतापुर को भी है साथ ही साथ सीजन वर्ष 2009—10 का पांच वर्ष बाद रू0 1,44,764.00 की बकाया, सीजन वर्ष 2013—14 का रूपया 35,442.00 अर्थदण्ड व सीजन वर्ष 2014—15 का रू0 33,758.00 अर्थदण्ड जो समस्त गलत ढंग से लगाया गया है के विरूद्ध कमिश्नर महोदय वाणिज्यकर विभाग लखनऊ, ज्वाइन्ट कमिश्नर महोदय, (अपील) वाणिज्यकर सीतापुर अपील की गयी है। जिनकी रसीदों की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

समाधान निरस्त होने पर वाणिज्यकर विभाग का मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं रहेगा।

शेष : पेज 2 पर

806

(2)

बल्कि वाणिज्यकर विभाग पर रूपया 1,02,930.00 मेरा विभाग पर रहेगा चूंकि प्रकरण विभाग में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुऐ सहानुभूतिपूर्वक मानवीय आधार पर वाणिज्यकर विभाग से निर्णय आने तक वसूली की कार्यवाही रोकने की कृपा करें।

महान् कृपा होगी।

दिनांक : 06.06.2015
संलग्नक : – उपरोक्तानुसार दो

(मो0 शोएब)
पाटर्नर
इंडियन ब्रिक इन्डस्ट्रीज
थाना पट्टी–कमलापुर सीतापुर

By hand. प्रतिलिपिः– उपजिलाधिकारी महोदय सिधौली सीतापुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मो0 शोएब)
पाटर्नर
इंडियन ब्रिक इन्डस्ट्रीज
थाना पट्टी–कमलापुर सीतापुर

संलग्नक-9 पत्रांक 807

सेवा में,

श्रीमान् असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर
खण्ड– 4 सीतापुर।

विषयः–इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज थाना पट्टी कमलापुर सीतापुर बन्द होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सीजनवर्ष 2014–15 (1.10.14 से 30.09.15) में प्रतिमाह बारिश होने से कच्ची ईंट गलने के कारण लाखों रूपयों का नुकसान तथा अचानक पिता जी को हार्ट अटैक पड़ जाने से इलाज में लाखों रूपये खर्च होने से आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो गई जिस कारण वर्ष 2014–15 में भट्ठा न चल सका जिसकी जांच कर समाधान निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र आपको दिनांक 26.03.15, 30.03.15, 18.05.15 तथा 27.05.15 व 01.07.15 को आयुक्त महोदय वाणिज्यकर लखनऊ जिसकी प्रति आपको, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) महोदय वाणिज्यकर सीतापुर, जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, उपजिलाधिकारी महोदय सिधौली व तहसीलदार महोदय सिधौली सीतापुर को है परन्तु किसी स्तर से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही समाधान निरस्त हुआ परिणामस्वरूप मजबूरन जैसे तैसे इधर–उधर से कर्जा लेकर समाधान राशि जमा की गयी।

सीजन वर्ष 2015–16 (1.10.15 से 30.09.16) में माननीय न्यायालय द्वारा अभी तक मिट्टी खन्नन सम्बन्धी रोक के कारण दूसरे पिछले साल से आर्थिक तंगी से जूझने के कारण भट्ठा बन्द पड़ा है, भट्ठा चलाने की स्थिति नहीं है। भट्ठा 25.04.2008 से शुरू हुआ तथा 01.10.2009 से 30.09.2015 तक समाधान में रहा है तब से अब तक वाणिज्यकर, माइनिंग, प्रदूषण, जिला पंचायत आदि का लगभग रू0 28,91,001.00/– जमा है। भट्ठा सीजन वर्ष 2015–16 दि0 01.10.15 से 30.09.2016 तक अस्थाई रूप से बन्द रखेगा। प्रार्थना पत्र सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 19-03-16

प्रार्थी
मो0 शुऐब
मो0 शुऐब
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर
सीतापुर
टिन नं0- 09753602924

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय सीतापुर।
2– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर
3– आयुक्त महोदय वाणिज्यकर लखनऊ।
4– क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

मो0 शुऐब
मो0 शुऐब

प्राप्ति रसीद
उ0प्र0 सरकार
वाणिज्य कर विभाग
कार्यालय - Sitapur ,Sector-4, AC

Receipt No. :	15535360000033	**Appl. Date :**	19/03/2016
TIN No. :	09753602924 [Active]		
Application Type :	Application for Information about temporary business Stop	**PAN No.:**	AACFI7279M
Name of Firm :	INDIAN BRICK INDUSTRIES		
Address of Firm :	VILL.THANA PATTI POST KAMLAPUR		
Bank Name :		**Challan Amount :**	0
Branch Name :		**Stamp Amount :**	0

Remarks : year 2015-2016

टैक्स व रिर्टन प्रत्येक देय माह की 20 तारीख तक जमा करना सुनिश्चित करें

sunita

Operator signature

SP SITAPUR HO <261001>
EU444300937IN
Counter No:1,OP-Code:BKT
To:DM,
SITAPUR, PIN:261001
From:MOHD. SUIAB , SITAPUR
Wt:45grams,
PS:40.00, ,19/03/2016 ,16:27
Taxes:Rs.5.00<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक India Post

SP SITAPUR HO <261001>
EU444300910IN
Counter No:1,OP-Code:BKT
To:COMMISSINOR,COMMERCIAL TAX
LUCKNOW, PIN:226001
From:MOHD. SUIAB , SITAPUR
Wt:45grams,
PS:5.00,Amt:35.00 ,19/03/2016 ,16:26
Taxes:Rs.5.00<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक India Post

SP SITAPUR HO <261001>
EU444300831IN
Counter No:1,OP-Code:BKT
To:APAR MUKHYADHIKARI,JILA PANCHAYAT
SITAPUR, PIN:261001
From:MOHD. SUIAB , SITAPUR
Wt:45grams,
PS:40.00, ,19/03/2016 ,16:27
Taxes:Rs.5.00<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक India Post

SP SITAPUR HO <261001>
EU444300923IN
Counter No:1,OP-Code:BKT
To:S.O. U.P.P.N.BOARD,LKO
MAHANAGAR, PIN:226006
From:MOHD. SUIAB , SITAPUR
Wt:45grams,
PS:5.00,Amt:35.00 ,19/03/2016 ,16:26
Taxes:Rs.5.00<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक India Post

सत्यापित-10

809

पंजीकृत

सेवा में,

श्रीमान् असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर
खण्ड – 4 सीतापुर

विषय – **इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज थाना पट्टी कमलापुर सीतापुर अस्थाई रूप से बन्द होन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सीजन वर्ष 2014–15 (01.10.14 से 30.09.15) भट्ठा समाधान मे था परन्तु अचानक पिता जी का हार्ट अटैक पड़ जाने एवं दैवी आपदा (बार – बार बारिश) के कारण भट्ठा नही चला पाया जिसकी सूचना एवं समाधान निरस्त करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पंजीकृत डाक से दिनांक 26.03.15 को आपको जिसकी प्रतिलिपि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) महोदय वाणिज्यकर सीतापुर , जिलाधिकारी महोदय सीतापुर , उपजिलाधिकारी महोदय सिधैली सीतापुर , तहसीलदार महोदय सिधौली सीतापुर को दिया था। तथा पुनः दिनांक 30.03.15 व 18.05.15 को आपको तत्सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिया था।

दिनांक 27.05.15 को तत्सम्बन्धी प्रार्थनास पत्र पंजीकृत डाक द्वारा आयुक्त महोदय वाणिज्यकर लखनऊ को जिसकी प्रतिलिपि आपको , ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) महोदय वाणिज्यकर सीतापुर, तहसीलदार महोदय सिधौली सीतापुर , उपजिलाधिकारी महोदय सिधैली सीतापुर , तहसीलदार महोदय सिधौली सीतापुर , जिलाधिकारी महोदय सीतापुर को दिया था पुनः पंजीकृत डाक दिनांक 01.07.15 को तत्सम्बन्धी प्रार्थना पत्र आयुक्त महोदय वाणिज्यकर लखनऊ को दिया था परन्तु समाधान निरस्त सम्बन्धी कोई सुनवाई नही हुई परिणाम स्वरूप सीजन वर्ष 2014–15 (01.10.14 से 30.09.15) में बिना भट्ठा चले ही जैसे तैसे समाधान राशि जमा करना पड़ा।

सीजन वर्ष 2015–16 (01.10.15 से 30.09.16) में भी पिता जी की बिमारी , आर्थिक परेशानी एवं सरकारी नीति स्पष्ट न होने के कारण भट्ठा अस्थाई रूप से बन्द रहा जिसकी सूचना आपको दिनांक 19.03.16 को एवं पंजीकृत डाक से जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, अपरमुख्य अधिकारी महोदय जिलापंचायत सीतापुर , आयुक्त महोदय वाणिज्यकर लखनऊ एवं क्षेत्रीय अधिकारी महोदय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को दे दिया था।

सीजन वर्ष 2016–17 (01.10.16 से 30.09.17) में भी उपरोक्त कारणो से भट्ठा अस्थाई रूप से बन्द है। भट्ठे का कार्य शुरू होने पर सूचना आपकी सेवा में प्रषित कर दी जायेगी।

संलग्नक – दो

दिनांक – 29.12.2016

प्रार्थी

मो0 शुएब

एण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर
सीतापुर
टिन नं0 – 09753602924

प्रतिलिपि – सूचनार्थ पेषित

1. जिलाधिकारी महोदय सीतापुर
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को उनके पत्र सं 3166 दिनांक 07.11.2016 के अनुपालन में
4. आयुक्त महोदय वाणिज्यकर लखनऊ

प्रार्थी

मो0 शुएब

एण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर
सीतापुर
टिन नं0 – 09753602924

810

बीमा नहीं/NOT INSURED

RU411892543IN क्रमांक/No. 4621

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै० तारीख-मोहर
Amount of Stamps affixed Rs. P. Date-stamp

एक रजिस्ट्री* प्राप्त किया
Received a Registered*

पाने वाले का नाम/Addressed to

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं/NOT INSURED

RU411892510IN क्रमांक/No. 4627

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै० तारीख-मोहर
Amount of Stamps affixed Rs. P. Date-stamp

एक रजिस्ट्री* प्राप्त किया
Received a Registered*

पाने वाले का नाम/Addressed to

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

RU411893565IN

बीमा नहीं/NOT INSURED

क्रमांक/No. 4626

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै० तारीख-मोहर
Amount of Stamps affixed Rs. P. Date-stamp

एक रजिस्ट्री* प्राप्त किया
Received a Registered*

पाने वाले का नाम/Addressed to

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं/NOT INSURED 4625

RU411892557IN क्रमांक/No.

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै० तारीख-मोहर
Amount of Stamps affixed Rs. P. Date-stamp

एक रजिस्ट्री* प्राप्त किया
Received a Registered*

पाने वाले का नाम/Addressed to

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

226010

बीमा नहीं/NOT INSURED

RU411892530IN क्रमांक/No. 4623

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै० तारीख-मोहर
Amount of Stamps affixed Rs. P. Date-stamp

एक रजिस्ट्री* प्राप्त किया
Received a Registered*

पाने वाले का नाम/Addressed to

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

सलग्नक-11

811

कार्यालय जिलाधिकारी सीतापुर।

संख्याः–तीस–सी0एफ0–ईट भट्ठा–नवीनीकरण/(2014)/न्या0स0 दिनांक 20 जून 2015

श्री मो0 शुएब आदि पुत्रगण श्री मो0 इसहाक
नि0 ग्राम थाना पट्टी –कमलापुर
प्रो0 मेसर्स इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
सरैया–थाना पट्टी तह0सिधौली, जिला सीतापुर

आपके ,द्वारा ईट मिट्टी को निकालने हेतु वर्ष 2014–2015 के लिये प्रपत्र एम0एम0–8 पर आवेदन किया गया है तथा नियत आवेदन शुल्क मु0 2000–00 तथा शासनादेश संख्या 2528/86–1(216)/1993 दिनांक 11–9–2013 द्वारा ईट मिट्टी की समाधान योजना के अर्न्तगत 19 पाये हेतु नियत रायल्टी 58,050–00 कुल 60,050–00 लेखा शीर्षक 0853–खनन की मद में ट्रेजरी चालान संख्या एस0 एस020100 दि0 26–11–14 द्वारा जमा की गयी है। तत्कम में आपको सूचित किया जाता है कि :–

आपको उत्तर प्रदेश खनिज परिहार (पैतीसवॉ संशोधन) नियमावली 2012 की अधिसूचना संख्या 2216/86–2012–235/2010,दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के आज्ञापक प्राविधानों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2013 का अनुपालन करना होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पत्र संख्या 1237/एम–ईट मिट्टी–रायल्टी/2013–14 दिनांक 25–10–2013 के अनुसार दो मीटर की गहराई तक हस्तचालन विधि से मिट्टी को हटाने की प्रकिया खनन संकियाओ की परिभाषा से आच्छादित नही मानी जायेगी और तदनुसार ईट मिट्टी से ईटों की पथाई की जायेगी। किसी भी दशा में खनन की गहराई दो मीटर से अधिक नहीं की जायेगी।

उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा शासन/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 द्वारा समय समय पर पारित आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य है। यदि किसी समय जॉच में पाया जाता है कि आपके द्वारा उक्त निर्गत निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है तो आपके विरूद्व अवैध खनन का प्रकरण मानते हुए सुसंगत प्राविधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर)

अपर जिलाधिकारी
सीतापुर।

संख्या व दिनांक समांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–उप जिलाधिकारी सिधौली
2 प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सिधौली।

अपर जिलाधिकारी
सीतापुर।

संलग्नक-12

1987 / 31-1-15

कार्यालय : असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर
Sitapur ,Sector-4, AC

आदेश उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम **2008** की धारा **6-A** के अंतर्गत

क्रमांक:	O-14218920100012	दिनांक:	13/01/2015
टिन:	09753602924		
फर्म का नाम:	M/S INDIAN BRICK INDUSTRIES	फर्म का पता:	VILL.THANA PATTI POST KAMLAPUR

व्यापारी द्वारा सीजन वर्ष 2014-2015(दिनांक 01/10 /2014 से 30 /09 /2015 तक) ईंट निर्माता व्यापारियों समाधान योजना के अंतर्गत समाधान प्रार्थना पत्र संख्या 14215360001059 दिनांक 01/12/2014 को दाखिल किया गया है जिसमें 19 पाये पर 308774.00 समाधान राशि स्वीकार की गयी है। समाधान राशि का 20 प्रतिशत चालान संख्या 080 दिनांक 29/11/2014 द्वारा जमा हैं। समाधान राशि की किस्त निम्न प्रकार देय है

किस्त	देय तिथि
प्रथम किस्त	(समाधान प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 30/11/ तक)
द्वितीय किस्त	(दिनांक 20/12/ तक)
तृतीय किस्त	(दिनांक 20/01/ तक)
चतुर्थ किस्त	(दिनांक 20/02/ तक)
पांचवी किस्त	(दिनांक 20/03/ तक)
छठी किस्त	(दिनांक 20/04/ तक)

जांच में घोषित तथ्य सही पाए गए। पूर्व समाधान राशि का कोई बकाया नहीं है। समाधान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। व्यापारी नियमानुसार किस्तें जमा करेंगे।

KAMLESH KUMARI
(अधिकारी का नाम)
असिस्टेंट कमिश्नर
वाणिज्य कर
(पदनाम)

कार्यालय : असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर
Sitapur ,Sector-4, AC

संलग्नक-13

8713

पंजीकृत/स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

महोदय,

आपका पत्र सं0 H-19609 दिनांक 09/05/2018 जो बोर्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा इंडियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज़ थानापट्टी- कमलापुर-सीतापुर के दर्शाये गये निरीक्षण दिनांक 27/04/2018 से सम्बन्धित है। दिनांक 13/05/2018 को प्राप्त हुआ, के सम्बन्ध में निवेदन हैः-

यह कि सीजन वर्ष 2014-15 (01/10/2014 से 30/09/2015) में भट्ठा समाधान में था तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दिनांक 30/09/2015 तक वायु सहमति आदेश था। जिसकी छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है चूंकि अचानक पिताजी का हार्ट अटैक पड़ जाने एवं दैवीय आपदा बार-बार बारिस से कच्ची ईंटें गल जाने से लाखों रूपये के नुकसान के कारण भट्ठा सीजन वर्ष 2014-15 (01/10/2014 से 30/09/2015), 2015-16, (01/10/2015 से 30/09/2016), 2016-17 (01/10/2016 से 30/09/2017) व 2017-18 (01/10/2017 से अब तक) भट्ठे का कार्य अस्थायी रूप से बन्द है तथा निकट भविष्य में 30/09/2018 तक भट्ठा अस्थायी रूप से बन्द रहेगा। जिसकी सूचना पंजीकृत डाक से दिनांक 19/03/2016 व दिनांक 29/12/2016 द्वारा असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-4 सीतापुर जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय सीतापुर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं आयुक्त महोदय वाणिज्य कर लखनऊ को भी दे दी थी। सीजन वर्ष 2016-17 में अस्थायी रूप से भट्ठा बन्द होने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 29/12/2016 में यह भी उल्लेख किया गया था कि भट्ठे का कार्य शुरू होने पर सूचना सेवा में प्रेषित कर दी जायेगी। जिसकी छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

यह कि भट्ठा सीजन वर्ष 2014-15 से अब तक बन्द होने के कारण भट्ठे के ऊपर, अन्दर, बाहर चारों तरफ बड़ी-बड़ी घास, खर-पतवार, झाड़-झंखड़ खल्झार, हो गयी है जिससे सांपों बिच्छुओं एवं कीड़े मकोड़ों का वास हो गया है। भट्ठे के कण्डीशन से ही वर्षों से भट्ठा बन्द होने की पुष्टि होती है। तथा भट्ठे के कण्डीशन से ही बोर्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिखाये गये दिनांक 27/04/2018 के निरीक्षण में बिना वायु सहमति प्राप्त किये 25 पाये के भट्ठे का संचालन किया जा रहा पाया गया। एकदम फर्ज़ी, मनगढ़न्त गुपचुप तरीके से घर बैठे-बैठे निरीक्षण की

(क्रमशः ....2 पर)

पुष्टि होती है। दिनांक 27/04/2018 को भट्ठे का निरीक्षण न तो बोर्ड के अधिकारियों द्वारा और न ही किसी अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया। भट्ठा 25 पाये का न होकर 19 पाये का है जिसकी पुष्टि हेतु असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-4 सीतापुर की सर्वेक्षण डायरी दिनांक 28/10/2014, सीजन वर्ष 2014-15 से समाधान स्वीकार किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 13/01/2015 एवं जिलाधिकारी महोदय सीतापुर का आदेश दिनांक 20 जून 2015 जिनमें 19 पाये का स्पष्ट उल्लेख है जिनकी छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

प्रार्थी

(मो0 शुऐब)
इंडियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज़
थानापट्टी-कमलापुर-सीतापुर
टिन नं0 09753602924

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार- 8
दिनांकः- 24/05/2018

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय सीतापुर।
2. असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-4 सीतापुर।
3. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सीतापुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
5. आयुक्त महोदय वाणिज्य कर लखनऊ।

(मो0 शुऐब)
इंडियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज़
थानापट्टी-कमलापुर-सीतापुर
टिन नं0 09753602924

81

From:INDIAN BRIC,THANAPATTI
Wt:15gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

RU191304347IN IVR:8285191304347
RL SITAPUR HO <261001>
Counter No:5,24/05/2018,15:39
To:MUKHYA PRAVARAN ADHIKARI,LKO
PIN:226010, Gomti Nagar S.O
From:INDIAN BRIC,THANAPATTI
Wt:50gms
Amt:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

RU191304381IN IVR:8285191304381
RL SITAPUR HO <261001>
Counter No:5,24/05/2018,15:39
To:KSHETRIYA ADH,U P P NIYANTRAN
PIN:226006, Mahanagar S.O
From:INDIAN BRIC,THANAPATTI
Wt:15gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

RU191304355IN IVR:8285191304355
RL SITAPUR HO <261001>
Counter No:5,24/05/2018,15:39
To:D M,STP
PIN:261001, Sitapur HO
From:INDIAN BRIC,THANAPATTI
Wt:15gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

RU191304395IN IVR:8285191304395
RL SITAPUR HO <261001>
Counter No:5,24/05/2018,15:39
To:AYUKTA VARIJYAKAR,LKO
PIN:226001, Lucknow G.P.O.
From:INDIAN BRIC,THANAPATTI
Wt:15gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

RU191304364IN IVR:8285191304364
RL SITAPUR HO <261001>
Counter No:5,24/05/2018,15:39
To:ASSIST COMMIS,KHAND 4 STP
PIN:261001, Sitapur HO
From:INDIAN BRIC,THANAPATTI
Wt:15gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

RU191304378IN IVR:8285191304378
RL SITAPUR HO <261001>
Counter No:5,24/05/2018,15:39
To:APER MUKHYA A,ZILA PANCHAYAR
PIN:[illegible], Sitapur HO

सं0अ0-14

पंजीकृत 816

सेवा में,

श्रीमान मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

महोदय,

आपके पत्र सं0 एच–37203 दि0 12.06.2019 जो बोर्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज के दर्शाये गये निरीक्षण दिनांक 14.05.2019 से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में निवेदन है कि पहले भी आपके पत्र सं0 एच–19609 दिनांक 09.05.2018 में भी दि0 27.04.2018 को निरीक्षण करना दिखाया गया जिसका जवाब पंजीकृत डाक द्वारा दि0 24.05.2018 को दे दिया गया था। यहां यह उल्लेख करना है कि बोर्ड के किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण ही नही किया गया। दर्शाये गये निरीक्षण एकदम फर्जी, मनगढ़न्त कार्यालय में बैठे–बैठे लिखे गये।

सीजन वर्ष 2014–15 में भट्ठा 19 पाये का समाधान में था और उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का वायु सहमति आदेश, खनन आदेश, जिला पंचायत का नवीनीकृत लाइसेंस भी 30.09.2015 तक वैध थे, परन्तु अचानक पिताजी का हार्ट अटैक पड जाने के कारण स्थिति छिन्न–भिन्न हो गयी और आर्थिक संकट आ गया जिस कारण सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक भट्ठा अस्थाई रूप से बन्द है, जिसकी सूचना सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को समय–समय पर दी जाती रही।

सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक बन्द होने के कारण भट्ठे के अन्दर–बाहर ऊपर–नीचे बड़ी–बड़ी घास खर पतवार, झाड़–झंखार खलझार हो गई, म्याना व पाइलेट की दीवारे गिर गयी हैं भट्ठा जरजर हो गया है। कृपया देखने की कृपा करें। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वायु सहमति आदेश, खनन ओदश जिला पंचायत का नवीनीकृत लाइसेन्स प्राप्त किये बिना भट्ठे का संचालन नही किया जायेगा। भट्ठा संचालन करने पर तत्काल सूचित कर दिया जाएगा।

दिनांक : 20.06.2021

इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर,
जनपद सीतापुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय सीतापुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सीतापुर।
3. खनन अधिकारी, सीतापुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर,
जनपद सीतापुर

संलग्नक–15

पंजीकृत 81

सेवा में,

श्रीमान मुख्य पर्यावरण अधिकारी महोदय, वृत्त 5

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

महोदय,

सादर निवेदन है कि आपका पत्र संख्या एच/63428 दिनांक 14.07.2021 जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 की बिना सहमति आदेश के संचालित किए जाने के कारण बंदी आदेश से संबंधित है। श्री ए0के0 शर्मा द्वारा दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त हुआ। इस संबंध में निवेदन हैं –

यह कि सीजन वर्ष 2014–15 अर्थात 30.09.2015 तक संबंधित विभाग उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ का वायु सहमति आदेश, जिलाधिकारी महोदय सीतापुर का खनन आदेश, जि0पं0 सीतापुर का लाइसेंस नवीनीकरण आदेश था। जिनकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्नक 01, 02, 03 के रूप में संलग्न है। साथ ही साथ 30.09.2015 तक भट्ठा भी समाधान में था। परंतु पिता जी का अचानक हार्ट अटैक पड़ जाने एवं अन्य गंभीर बीमारियों के चलते भटठा सीजन वर्ष 2014–15 में नहीं चला पाए जो अस्थायी रूप से बंद रहा।

यह कि पिताजी की गंभीर बीमारियों एवं आर्थिक तंगी के कारण सीजन वर्ष 2014–15 से सीजन वर्ष 2020–21 अर्थात अब तक भट्ठा अस्थायी रूप से बंद है। जिसकी सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आपको, असि0 कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड–4, सीतापुर, जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर, अपर मुख्य अधिकारी महोदय, जि0पं0 सीतापुर, क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं आयुक्त महोदय वाणिज्य कर लखनऊ को दी जाती रही है। दिनांक 29.12.2016 को दिये गए प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि भटठे का कार्य शुरू होने पर सूचना सेवा में सादर प्रेषित कर दी जाएगी। जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्नक 04 के रूप में संलग्न है।

यह कि भटठा सीजन वर्ष 2014–15 से सीजन वर्ष 2020–21 अर्थात अब तक अस्थायी रूप से बंद होने के कारण भटठे के अंदर, बाहर चारो तरफ झाड़ झंखाड़, खर पतवार, खलझार हो गई है तथा भटठे की म्यानें और पायलट की दीवार भी कही–कहीं गिर गई है। महोदय यदि उचित समझें तो स्वयं या फिर किसी विश्वासपात्र सक्षम अधिकारी से जांच करवा लें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि भटठा वास्तव में 2014 से अब तक बंद है। श्री ए0 के0 शर्मा जो उक्त पत्र रिसीट कराने आए थे उन्हें भटठे की स्थिति दिखा दी गई थी। जिनसे स्थिति जानी जा सकती है।

यह कि भटठा सीजन वर्ष 2014–15 से सीजन वर्ष 2020–21 से अर्थात अब तक अस्थायी रूप से बंद होने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम

1981 की धारा 21 के उल्लंघन का दूर–दूर तक प्रश्न ही नहीं उठता। बिना देखे–भाले, बिना जांच–पड़ताल के कार्यालय अथवा घर बैठे–बैठे यह कह देना कि भटठे का बिना वायु सहमति आदेश के संचालन हो रहा है। जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 का उल्लंघन है। जिस पर बंदी आदेश कर देना नियम विरूद्ध, गैर कानूनी, न मानने योग्य हैं।

यह कि इसी प्रकार पहले भी आपके पत्र सं0 एच/19609 दिनांक 09.05.2018 में भी कहा गया कि निरीक्षण बोर्ड के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक 27.04.2018 को निरीक्षण किया गया कि निरीक्षण में भटठा 25 पाये का बिना वायु सहमति प्राप्त किये संचालित पाया गया। जिसकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्नक 05 के रूप में संलग्न है। यहां यह अत्यन्त उल्लेखनीय है कि निरीक्षण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा न तो निरीक्षण किया गया न ही भटठा 25 पाये का था, न है। न ही भटठा संचालित था, न ही संचालित है। भटठा अस्थाई रूप से बंद है। 19 पाये का है। जिसकी पुष्टि हेतु असि0 कमि0 वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर की सर्वेक्षण डायरी दिनांक 28.10.2014, सीजन वर्ष 2014–15 के समाधन स्वीकार किए जाने संबंधी आदेश दिनांक 13.01.2015 एवं जिलाधिकारी महोदय सीतापुर का आदेश दिनांक 20 जून 2015 को मेरे द्वारा भेजे गये जवाब दिनांक 24.05.2015 के साथ संलग्न कर भेजा गया था। पुनः क्रमशः संलग्नक 06, 07, 08, 09 के रूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है।

कृपया बिना सोचे–समझे, देखे–भाले, जांच–पड़ताल के अस्थायी रूप से बंद भटठे को बिना वायु सहमति के संचालित दिखाकर किया गया नियम विरूद्ध बंदी आदेश निरस्त करने की कृपा करें।

महान कृपा होगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

दिनांक : 29.07.2021

इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापटटी–कमलापुर–सीतापुर
टिन नं0 – 09753602924

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित प्रेषित :

1. जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी महोदय, जि0 पं0 सीतापुर
3. क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
4. असि0 कमिश्नर महोदय, वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर
5. जिला खनन अधिकारी महोदय, सीतापुर।

इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज

थानापटटी–कमलापुर–सीतापुरज्ञ

भारतीय डाक 1628
India Post

RU139397002IN

[illegible]

29-7-21

भारतीय डाक 1629
India Post

RU139397016IN

[illegible]

29-7-21

भारतीय डाक 1630
India Post

RU139397020IN

[illegible]

29-7-21

भारतीय डाक 1631
India Post

RU139397033IN

37

[illegible]

29-7-21

भारतीय डाक 1632
India Post

RU139397047IN

37

[illegible]

29-7-21

भारतीय डाक 1633
India Post

RU139397055IN

37

[illegible]

820

पंजीकृत

सेवा में,

श्रीमान अपर मुख्य अधिकारी महोदय,
जिला पंचायत, सीतापुर।

महोदय,

आपके पत्र सं0 69 दिनांक 07.06.2022 जो दिनांक 11.06.2022 को प्राप्त हुआ के अनुपालन में सादर विनम्र निवेदन है कि सीजन वर्ष 2014–15 अर्थात 01.10.2014 से 30.09.2015 तक भट्ठा समाधान में था और जिला पंचायत का लाइसेन्स, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत खनन आदेश थे जिनकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ सलंग्नक 01,02,03 के रूप से संलग्न है। अचानक पिता जी का हार्ट अटैक पड़ जाने के कारण हम सभी पिता जी के इलाज में लग गये। उधर दैवीय आपदा बार–बार बारिश होने के कारण फड़ में लगी लाखों कच्ची ईटें गल गई और भट्ठा बन्द हो गया, स्थिति छिन्न–भिन्न हो गई और आर्थिक संकट आ गया। जिस कारण सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक भट्ठा नहीं चला सका जो अस्थाई रूप से बन्द है।

सीजन वर्ष 2014–15 में भट्ठा बन्द होने एवं समाधान वापसी से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र को पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 27.05.2015, 19.03.2016, 29.12.2016, 24.05.2018, 20.06.2021, 29.07.2021 को आपको, अस्सिटेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड 4 सीतापुर, ज्वांइट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर सीतापुर, जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर, उपजिलाधिकारी महोदय सिधौली, सीतापुर, तहसीलदार महोदय, सिधौली सीतापुर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, आयुक्त महोदय, वाणिज्य कर लखनऊ को दिया। जिनकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्नक 04, 05, 06, 07, 08, 09, के रूप में संलग्न है।

आयुक्त महोदय, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ ने मेरे प्रार्थना पत्रो पर अपने आदेश सं0 3885 दिनांक 07 मार्च, 2017 में सीजन वर्ष 2014–15 में भट्ठा न चलाये जाने का उल्लेख करते हुए समाधान वापसी के सम्बन्ध में आदेश दिया कि " एक बार समाधान हेतु विकल्प अपनाने के पश्चात उसे वापस नही लिया जा सकता " जिसकी छायाप्रति सादर अवलोनार्थ संलग्नक 10 के रूप में संलग्न है।

यहां यह उल्लेख करना है कि मेरे भट्ठे के आस–पास कई भट्ठे चल रहे हैं जिनकी जांच पड़ताल हेतु जिला पंचायत विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व विभाग (तहसील) के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाता रहा है और यदि भट्ठा चलता होता तो उक्त विभागीय अधिकारियों द्वारा अवश्य देखा गया होता और कार्यवाही की गई होती। सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक भट्ठा अस्थाई रूप से बन्द होने के कारण भट्ठे के अन्दर बाहर, ऊपर नीचें, बडी–बडी घास, खर पतवार झार झाड़ियां खलझार हो गई है, म्याने और पाईलेट की दिवारें भी गिर गई हैं। भट्ठा जर्जर हो गया है जिसमें सांप बिछुओं, कीड़ों–मकोड़ों का वास हो गया है भट्ठे की कन्डीशन से ही भट्ठा वर्षो से बन्द होने की पुष्टि होती है जिसे देखा जा सकता है।

भट्ठा सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक बंद होने की स्थिति में किसी प्रकार की मेरे खिलाफ कार्यवाही न करने की कृपा करें।

महान कृपा होगी।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार 10।
दिनांक – 14.06.2022

इण्डियन बिक्र इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर
सीतापुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर।
2. उपजिलाधिकारी महोदय, सिधौली जनपद सीतापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
5. असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर।
6. आयुक्त महोदय, वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।

इण्डियन बिक्र इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर
सीतापुर

RU347367742 — भारतीय डाक 1843 — India Post — 14-06-22

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
सीतापुर
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी-कमलापुर
सीतापुर

RU347367743 — भारतीय डाक 1844 — India Post — 14-06-22

उपजिलाधिकारी महोदय
सिधौली - सीतापुर
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी - कमलापुर
सीतापुर

RU347367744 — भारतीय डाक 1845 — India Post — 14-06-22

जिलाधिकारी जनपद
सीतापुर
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी - कमलापुर
सीतापुर

RU347367745 — भारतीय डाक 1846 — India Post — 14-06-22

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड सी 952/953
सेक्टर सी महानगर
लखनऊ
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज थानापट्टी-कमलापुर-सीतापुर

RU347367467 — भारतीय डाक 1847 — India Post — 14-06-22

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त 5
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी-सी-12 वी विभूति खण्ड
गोमती नगर - लखनऊ
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज थानापट्टी-कमलापुर सीतापुर

RU347367475 — भारतीय डाक 1848 — India Post — 14-06-22

असिस्टेंट कमिश्नर
वाणिज्य कर खण्ड-4 सीतापुर
सीतापुर
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी - कमलापुर
सीतापुर

RU347367748 — भारतीय डाक 1849 — India Post — 14-06-22

आयुक्त
वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ
लखनऊ
इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी-कमलापुर- सीतापुर

6. आयुक्त महोदय, वाणज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।

इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थाना पट्टी कमलापुर
सीतापुर

संलग्नक-17

822

All Fee Payment Details for Unit Id - Unit Name : UPSWP22178077201 - INDIAN BRICK INDUSTRIES

Sr.No.	Department Name	Service Name	Required Fee Amount In (INR)	Payment ID	Bank Transaction details Transaction ID Transaction Date	Payment Status
1.	Pollution Control Board	Consolidated Form for Consent under Water Act 1974 Air Act 1981 and authorization under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules 2016	7500	UP01522091712575246	ID : 71445622 2022-09-17 12:58:27	Paid

Close

अनुलग्नक–10

823

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 2645/सहमति-490)/2023 दिनांक : 29/03/23

पंजीकृत डाक

सेवा में,
मैसर्स इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज,
सरैंया थाना पट्टी, कमलापुर,
जनपद–सीतापुर।

विषयः– सहमति आदेश दिनांक 21.09.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत सहमति आवेदन पत्र के क्रम में इस कार्यालय के आनलाइन सन्दर्भ संख्या –164796/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/SITAPUR/2022 Date: 21/09/2022 के माध्यम से सहमति जल/वायु निर्गत किया गया था, जिसके विर्निदिष्ट शर्त संख्या–21 में अंकित है कि:– This consent will be effective and valid only after the revoke of the closure order issued to Brick Kiln by State Board. उपरोक्त शर्त के दृष्टिगत उक्त सहमति आदेश दिनांक 21.09.2022 तभी प्रभावी होगा जब इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बंदी आदेश दिनांक 14.07.2021 निक्षेपित हो जाए। आप द्वारा आज तक बंदी आदेश निक्षेप किए जाने संबंधी आदेश इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके अभाव में **उक्त सहमति आदेश दिनांक 21.09.2022 आज तक प्रभावी नहीं है।**

अतः आपसे अपेक्षा है कि 07 दिवस के अंदर आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बंदी आदेश संख्या–एच63428/सी–5/सामान्य–545/21/ईंट भटठा/बंदी आदेश/सीतापुर/2021 दिनांक 14.07.2021 के निक्षेपण संबंधी आदेश प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में सहमति आदेश संख्या–164796/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/SITAPUR/2022 Date: 21/09/2022 को खण्डित कर दिया जाएगा।

अग्रेतर यह भी अवगत होना चाहें कि बंदी आदेश दिनांक 14.07.2021 के निक्षेपण संबंधी आदेश प्रस्तुत न किए जाने के दृष्टिगत सहमति आदेश प्रभावी नहीं है। अतः ईंट भटठा के संचालन संबंधी कोई भी कार्य न किया जाए।

भवदीय,

(डॉ0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:–1. जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला खनन अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

06-4-2023

824

सत्यमेव जयते

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09AACFI7279M2ZN

1.	**Legal Name**	INDIAN BRICK INDUSTRIES
2.	**Trade Name, if any**	INDIAN BRICK INDUSTRIES
3.	**Additional trade names, if any**	null
4.	**Constitution of Business**	Partnership
5.	**Address of Principal Place of Business**	0, 0, Kamlapur, Sitapur, Uttar Pradesh, 261302
6.	**Date of Liability**	
7.	**Period of Validity**	From 21/09/2022 To Not Applicable
8.	**Type of Registration**	Regular
9	**Particulars of Approving Authority**	

Signature	Signature Not Verified Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK(1) Date: 2022.09.21 10:30:54 IST
Name	Neeraj Shukla
Designation	Assistant Commissioner
Jurisdictional Office	Sitapur ,Sector-4,
9. Date of issue of Certificate	21/09/2022

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 21/09/2022 by the jurisdictional authority.

Annexure A

GSTIN	09AACFI7279M2ZN
Legal Name	INDIAN BRICK INDUSTRIES
Trade Name, if any	INDIAN BRICK INDUSTRIES
Additional trade names, if any	null

Details of Additional Places of Business

[illegible] of Business in the State	0

सं० सहमति-20

826

क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
चतुर्थ तल, बी–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
ई–मेल : rolucknow@uppcb.in

पत्र संख्या : 2645/सहमति-490D/2023 दिनांक : 29/03/23

पंजीकृत डाक

सेवा में,
मैसर्स इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज,
सरैंया थाना पट्टी, कमलापुर,
जनपद–सीतापुर।

विषयः– सहमति आदेश दिनांक 21.09.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत सहमति आवेदन पत्र के क्रम में इस कार्यालय के आनलाइन सन्दर्भ संख्या –164796/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/SITAPUR/2022 Date: 21/09/2022 के माध्यम से सहमति जल/वायु निर्गत किया गया था, जिसके विर्निदिष्ट शर्त संख्या–21 में अंकित है किः– This consent will be effective and valid only after the revoke of the closure order issued to Brick Kiln by State Board. उपरोक्त शर्त के दृष्टिगत उक्त सहमति आदेश दिनांक 21.09.2022 तभी प्रभावी होगा जब इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बंदी आदेश दिनांक 14.07.2021 निक्षेपित हो जाए। आप द्वारा आज तक बंदी आदेश निक्षेप किए जाने संबंधी आदेश इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके अभाव में **उक्त सहमति आदेश दिनांक 21.09.2022 आज तक प्रभावी नहीं है।**

अतः आपसे अपेक्षा है कि 07 दिवस के अंदर आपकी इकाई के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत बंदी आदेश संख्या–एच63428/सी–5/सामान्य–545/21/ईंट भटठा/बंदी आदेश/सीतापुर/2021 दिनांक 14.07.2021 के निक्षेपण संबंधी आदेश प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में सहमति आदेश संख्या–164796/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/SITAPUR/2022 Date: 21/09/2022 को खण्डित कर दिया जाएगा।

अग्रेतर यह भी अवगत होना चाहें कि बंदी आदेश दिनांक 14.07.2021 के निक्षेपण संबंधी आदेश प्रस्तुत न किए जाने के दृष्टिगत सहमति आदेश प्रभावी नहीं है। अतः ईंट भटठा के संचालन संबंधी कोई भी कार्य न किया जाए।

भवदीय,

(डॉ० उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–1. जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–5), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला खनन अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

सेवा में,

श्रीमान मुख्य पर्यावरण अधिकारी महोदय, वृत्त –5
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ ।

महोदय,

निवेदन है कि सीजन वर्ष 2014–15 अर्थात 01.10.2014 से 30.09.2015 तक भट्ठा समाधान में था और जिला पंचायत का लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत वायु सहमति आदेश, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत खनन आदेश थे। जिनकी छाया प्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्नक 01, 02 व 03 के रूप में संलग्न है। चूंकि अचानक पिता जी के हार्ट अटैक पड़ जाने के कारण हम सभी लोग उनकी देखभाल व इलाज में लग गये। उधर, दैवीय आपदा बार–बार बारिश होने के कारण फड़ में लगी लाखों कच्ची ईंटें गल गई और भट्ठा बंद हो गया। स्थिति छिन्न भिन्न हो गई और आर्थिक सकट आ गया। जिस कारण भट्ठा सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक अस्थायी रूप से बंद है। सीजन वर्ष 2014–15 से भट्ठा बंद होने व समाधान वापसी से संबंधित प्रार्थना पत्र पजीकृत डाक द्वारा दिनांक 27.05.2015, 19. 032016. 29.12.2016, 24.05.2018, 20.06.2021 व 29.07.2021, 14.06.2022 को आपको मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–5, जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर, अपर मुख्य अधिकारी सीतापुर, असि० कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड –4 सीतापुर तथा आयुक्त महोदय वाणिज्य कर लखनऊ को भी दिया। जिनकी छायाप्रति सादर अवलोकनार्थ संलग्नक 04, 05, 06, 07, 08, 09 व 10 के रूप में संलग्न है।

आपके बन्दी आदेश सं0 एच 63428, दिनांक 14.07.2021 के द्वारा राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना किये जा रहे ईट भटठे का संचालन वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के उल्लंघन के कारण अन्य भटठों के साथ मेरे भट्ठे का भी बंदी आदेश जारी कर दिया गया। चूंकि मेरा भटठा सीजन वर्ष 2014–15 से अब तक बंद है अतः वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की 1981 के धारा 21 के उल्लंधन का प्रश्न ही नहीं उठता, मेरे ईट भटठे का बंदी आदेश नियम विरुद्ध तथा गैरकानूनी है जिसे निरस्त करने हेतु पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 29.07.21 को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसकी प्रति जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर, अपर मुख्य अधिकारी महोदय जि0पं0 सीतापुर, क्षेत्रीय अधिकारी महोदय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, असि0 कमिश्नर महोदय वाणिज्य कर खण्ड–4 सीतापुर, जिला खनन अधिकारी महोदय, सीतापुर जिसकी छायाप्रति संलग्नक 9 के रूप में संलग्न है।

5/4/2023

828

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को जल/वायु सहमति आदेश देने हेतु दिनांक 17.09.2022 को पूर्ण विवरण के साथ 11 संलग्नकों सहित प्रार्थनापत्र दिया था। जिस पर महोदय द्वारा जल/वायु सहमति आदेश संख्या –164796/uppcb/Lucknow (UPPCBRO)/CTO/both/ SITAPUR/2022 Date 21-09-2022 निर्गत किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय का पत्र संख्या 2645 दिनांक 29.03.2023 जिसकी प्रति आपको भी है। दिनांक 01.04.2023 को दस्ती प्राप्त हुआ। जिसके द्वारा आपके बन्दी आदेश सं. एच0 63428 दिनांक 14.07.2021 के निक्षेपण संबंधी आदेश प्रस्तुत करने को कहा गया। कृपया दिये गए प्रार्थना पत्रों पर सहानुभूति करते हुए निक्षेपण संबंधी आदेश देने की कृपा करें ताकि सहमति आदेश प्रभावी करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी महोदय उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड लखनऊ को प्रस्तुत कर 2014 से बंद ईट भट्ठा संचलित किया जा सके।

महान कृपा होगी।

संलग्नक : 12
दिनांक :05.04.2023

इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज,
थाना पटटी कमलापुर
जनपद–सीतापुर

प्रतिलिपि :
क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को उनके पत्र संख्या 2645 दिनांक 29.03.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हतु प्रेषित।

इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज,
थाना पटटी कमलापुर
जनपद–सीतापुर

05/04/2023

...245209307IN
रु 22
जिलाधिकारी सीतापुर
द्वारा इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी कमलापुर सीतापुर
24.4.2023

593

RU 245209298IN
रु 22
मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त 5
टी.सी. 2 बी विभूति खण्ड गोमतीनगर
लखनऊ
द्वारा इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी कमलापुर
सीतापुर
24.4.2023

592 — 830

RU 245209324IN
रु 22
क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड पिकप भवन चौथा तल गोमती नगर
लखनऊ
द्वारा इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी कमलापुर सीतापुर
24.4.2023

595

RU 245209315IN
रु 22
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सीतापुर
द्वारा इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी कमलापुर सीतापुर
24.4.2023

594

RU 245209341IN
रु 22
जिला खनन अधिकारी
सीतापुर
द्वारा इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी कमलापुर सीतापुर
24.4.2023

597

RU 245209338IN
रु 22
असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर
खण्ड-4 सीतापुर
द्वारा इण्डियन ब्रिक इण्डस्ट्रीज
थानापट्टी कमलापुर सीतापुर
24.4.2023

596